



OF 20

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल बोर्ड जवालियर कैम्प सागर म.प्र.

- निगरानी/छतरपुर/झं.श/2078/1720 - - - - -

1- महादेव तनय सिंहा अहिरवार

2- रामस्वरूप तनयसिंहा 3- जंगल तनय सिंहा अहिरवार

सभी निवासी ग्राम भेरोगंज छतरपुर म.प्र. तह. नौगांव जिला छतरपुर

-- निगरानीकर्ता/आवेदकगण

// विरुद्ध //

B.O.R.  
07 FEB 2016

श्रीमति रामबाई पत्नि रामभरौसे कुमारी

निवासी ग्राम भेरोगंज छतरपुर म.प्र. तह. नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

-- उत्तरवादी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भ.राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता/ आवेदक गण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह कि निगरानी/ पुनरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय अधीक्षक भूमिलेख छतरपुर के प्र.क्र. 12/अ-6-अ/वर्ष 2014-15 पुर्ण विलोकन में पारित आदेश दिनांक 24-10-17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है :-

// प्रकरण का संदिग्ध विवरण //

1- यह कि निगरानीकर्ता गण द्वारा विचाहण न्यायालय श्रीमान भू-अभिलेख अधिकारी महोदय छतरपुर को इस आशय का आवेदन दिया गया भौजा लुगासी स्थित खसरा नंबर 4681, 4685, 5843 को बंदोबस्त के बाद भूमि स्वामी स्वत्व में प्रदान की गई थी जबकि खसरा नंबर 5842 उत्तरवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसा नंबर 5842, 5843 पर मौके पर निगरानीकर्ता का कब्जा है जबकि खसा नंबर 4681 एवं 4685 पर उक्त उत्तरवादी रामबाई का कमौके पर कब्जा है दोनों उपरोक्त वर्षिंग अन्तस्तार

3  
23/02/16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018 / 1720

महादेव व अन्य विरुद्ध श्रीमती रामबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 12/अ-6-अ/2014-15(पुर्नविलोकन) में पारित आदेश दिनांक 24-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 04-11-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	  <p>(जे०कौ० जैन) सदस्य</p>